उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-90/2015/3192/92-1-2015-39(अधि0)/2015,

लखनऊ:: दिनांक:: 10 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता (सिविल/विद्यूत) के पदों पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्राप्त संस्तुतियों के अनुक्रम में अन्य के साथ सिविल सम्वर्ग में श्री मरगूब अहमद, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को सहायक अभियंता के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रामपुर में सहायक अभियंता के पद पर तैनात किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप सं0-77/2015/2676/92-1-2015-71(अधि0)/2014, दिनांक 09-7-2015 को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा संशोधित करते हुये श्री मरगूब अहमद को प्रखण्ड-लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर तैनात किया जाता है।

2- श्री मरगूब अहमद नवीन तैनाती के स्थान पर सहायक अभियंता के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- कार्यालय-ज्ञाप सं0-77/2015/2676/92-1-2015-71(अधि0)/2014, दिनांक 09-7-2015 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-90/2015/3192(1)/92-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

7- सम्बन्धित नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- संयुक्त सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in